Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 71 / 2019 दायर दिनाँक 18.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. लाखाराम पुत्र हरलाराम जाति जाट निवासी मौलासर तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ताज मोहम्मद पुत्र कलिया 2. जीवण पुत्र कलिया समस्त जाति ढाडी निवासीगण मौलासर 3. रामगोपाल पुत्र रामदयाल रामावत जाति साद निवासी आसलसर 4. प्रेमाराम पुत्र पनाराम कुम्हार निवासी बावडी 5. नजमा पत्नी रमजान खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द 6. आयसा बानों पत्नी असगर खां जाति कायमखानी निवासी झाडौद 7. छोटी देवी पत्नी रूपनारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बेडवा 8. मुस्ताक खां पुत्र हुसैन खां जाति कायमखानी निवासी झाडौद 9. जसोदा देवी पत्नी ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बेडवा 10. मोहनलाल पुत्र हजारीलाल जांगिड निवासी डाबडा 11. विनोद कुमार पुत्र हजारीलाल जांगिड निवासी डाबडा 12. श्योप्रसाद पुत्र श्यामसुन्दर 13. निर्मल कुमार पुत्र श्यामसुन्दर 14. संजय कुमार पुत्र श्यामसुन्दर 15. सन्तोष देवी पत्नी श्यामसुन्दर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी मौलासर 16. शिवप्रकाश पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी गेलासर तहसील डीडवाना 17. किरण कंवर पत्नी पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी ढिगाल 18. प्रेमकंवर पत्नी प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी राजलिया तहसील नावां 19. पुरूषोतम पुत्र कुशालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी भदलिया 20. श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी सिंघाणा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		21. कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल निवासी मौलासर 22. मैनादेवी पत्नी पुगलकिशोर जाति जांगिड निवासी धनकोली 23. विनोदकुमार पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बेगसर 24. महेन्द्र सिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी चिन्डालिया तहसील परवतसर 25. धनसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी आकौदा 26. अजीतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी सानियां 27. दलिप खां पुत्र हुसैन खां जाति कायमखानी निवासी झाडौद 28. जैतुन बानों पत्नी हमीद खां जाति कायमखानी निवासी भाडासर 29. घीसु खां पुत्र सन्नू खां जाति मनिहार निवासी लादडिया 30. गुलाबदीन पुत्र हाजी कालू जाति मनिहार निवासी मौलासर 31. सोहन चौधरी पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी नुवां 32. रावत खां पुत्र अजीम खां जाति कायमखानी निवासी अलखपुरा 33. आलम खां पुत्र लाब्दी खां जाति कायमखानी निवासी मौलासर 34. तौलाराम पुत्र चुनाराम जाति गिवारियां निवासी मौलासर 35. बशीर खां पुत्र रणजीत खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा 36. गणपत सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी राजलिया तहसील नावां 37. ललिता देवी पत्नी मुकेश भरतिया 38. विशाखी देवी पत्नी कमल भरतिया 39. सुरेश कुमार पुत्र गंगाराम समस्त जाति महाजन निवासी मौलासर 40. इस्लाम बानों पत्नी मुमताज खां जाति कायमखानी निवासी चुगनी 41. जैतुन बानों पत्नी हमीद खां जाति कायमखानी निवासी भाडासर 42. रमेशचन्द पुत्र रामपाल 43. कृष्णमुरारी पुत्र रामपाल समस्त जाति कुमावत निवासीगण मौलासर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		44. मुकेश कुमार पुत्र गोरी शंकर 45. कमल किशोर पुत्र गोरी शंकर समस्त जाति अग्रवाल निवासीगण मौलासर 46. सुशील कुमार पुत्र शिवदत्त 47. किरण देवी पत्नी शिवप्रकाश 48. महेश कुमार पुत्र नटवरलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मौलासर 49. सुवाराम पुत्र अमराराम जाति प्रजापत निवासी चुगनी 50. सुशीला पत्नी नेताराम 51. निर्मला पत्नी सुखाराम 52. नर्बदा पत्नी धन्नाराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण चुगनी 53. गजाधर पुत्र गौरी शंकर जाति महाजन निवासी मौलासर 54. बजरंगलाल पुत्र हरीबक्ष जाति माली निवासी मौलासर 55. हर्ष पुत्र महेन्द्र सिंह 56. पीयूष पुत्र महेन्द्रसिंह 57. शीला पत्नी महेन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी बरलिया जिला अजमेर 58. हलीमा बानों पत्नी मुश्ताक खां जाति कायमखानी निवासी झाडौद 59. तुलछी देवी पत्नी बिरमाराम जाति जाट निवासी आकोदा 60. नायब तहसीलदार मौलासर 61. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः–

1. श्री लालसिंह गोदारा वकील, वादी
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रतिवादी सं0 55, 57

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 18.03.2020

मूल वाद में प्रतिवादी हर्ष पुत्र महेन्द्रसिंह व शीला पत्नी महेन्द्रसिंह जरिये आम मुख्यत्यारनामा अक्षय राजसिंह पुत्र शक्तिसिंह जाति रावत निवासी करणी नगर माकड़वाली रोड अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद श्रीमान के न्यायालय में वाद संख्या 71/2019 पेश किया गया है। जो कि पूर्ण रूप से मिथ्या तथ्यों के आधार पर एवं दस्तावेजों को छिपाते हुये न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्य नहीं रखते हुए पेश किये गये है। वादी द्वारा जो नक्शे में मार्क ए बी सी डी भूमि जाखड़ों की ढाणी मौलासर रोड पर बता कर एवं उक्त भूमि को कृषि भूमि बताकर जो वाद पेश किया गया है। वह पूर्ण रूप से मिथ्या तरीके से पेश किया गया है। वह पूर्ण रूप से मिथ्या तरीके से पेश किया गया है। उक्त भूमि कतई कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि आवासीय भूमि है एवं उक्त भूमि का कृषि भूमि से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड के नक्शें में इसका इन्द्राज हो रखा है। राजस्व रेकर्ड के नक्शें में दक्षिण दिशा में खेत खसरा सं0 371 के अन्दर सींव के चिपते ही पहला भूखण्ड श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी सिंघाणा के नाम आवासीय दर्ज है एवं दूसरा भूखण्ड महेन्द्र सिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत निवासी बरलिया अजमेर के नाम संपरिवर्तन होकर राजस्व रेकर्ड के नक्शें में दर्ज है। उक्त मार्क ए बी सी डी भाग जो वादी द्वारा नजरी नक्शें में काश्त की भूमि बताई जाकर पेश की है वह भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार एवं वास्तविक रूप से आवासीय भूमि है जिसका नियमानुसार संपरिवर्तन हो रखा है तथा जिसका रेकर्ड में इन्द्राज भी हो रखा है। उक्त कारण से उक्त भूमि राजस्व भूमि नहीं है। उक्त भूमि आवासीय भूमि है जिससे श्रीमान के समक्ष उक्त वाद गलत तरीके से पेश किया गया है जो कि श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है तथा बार्ड बाई लॉ है। उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 01 ताज मोहम्मद प्रतिवादी सं0 02 जीवण खां व प्रतिवादी सं0 56 पियूष की मृत्यू हो चुकी है एवं मृतक खातेदारों के विरूद्ध दावा पेश किया गया है एवं स्थगन पेश किया गया है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद में वर्णित भूमि आवासीय भूमि होने के कारण श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी हर्ष व शीला की ओर से यह गलत तथा असत्य आधारों पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र तक पेश नहीं किया है। वादी ने कोई भी तथ्य न्यायालय से नहीं छुपाया है। उक्त खसरा नम्बर 371 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि में 12.42 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि राजस्व प्रकृति की भूमि है तथा संवत 2072–2075 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी वादी लाखाराम का नाम अंकन है। प्रतिवादीगण ने उपरोक्त कथन गलत प्रस्तुत किये है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि आबादी की भूमि है। उक्त भूमि राजस्व प्रकृति की भूमि है तथा तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रतिवादी के उक्त दोनों संपरिवर्तन आदेश 09.06.1993 क्रमांक 253 व 268 को दिनांक 05.02.2020 को निरस्त कर दिये है तथा वादी द्वारा अपने वाद में प्रस्तुत नक्शे की भूमि वादी के कब्जा काश्त की भूमि है जो नायब तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 से स्पष्ट है। उक्त रिपोर्ट में नायब तहसीलदार द्वारा उपरोक्त भूमि के चारों ओर चार दिवारी वादी लाखाराम का होना बताया है तथा उक्त खसरा नम्बर 371 पूर्ण रूप से राजस्व प्रकृति की भूमि है तथा वादी के कब्जा काश्त की भूमि है। प्रतिवादी द्वारा यह असत्य कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा जिन व्यक्तियों को मृत बता रहा है उसके संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र फर्जी व बनावटी तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी हर्ष व शीला की ओर से यह गलत तथा असत्य आधारों पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र

Scanned by CamScanner

तक पेश नहीं किया है। वादी ने कोई भी तथ्य न्यायालय से नहीं छुपाया है। उक्त खसरा नम्बर 371 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि में 12.42 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि राजस्व प्रकृति की भूमि है तथा संवत 2072–2075 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी वादी लाखाराम का नाम अंकन है। प्रतिवादीगण ने उपरोक्त कथन गलत प्रस्तुत किये है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि आवादी की भूमि है। उक्त भूमि राजस्व प्रकृति की भूमि है तथा तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रतिवादी के उक्त दोनों संपरिवर्तन आदेश 09.06.1993 क्रमांक 253 व 268 को दिनांक 05.02.2020 को निरस्त कर दिये है तथा वादी द्वारा अपने वाद में प्रस्तुत नक्शे की भूमि वादी के कब्जा काश्त की भूमि है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का मय कोस्ट खारिज किया जावें।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा एक वाद श्रीमान के न्यायालय में वाद संख्या 71/2019 पेश किया गया है। जो कि पूर्ण रूप से मिथ्या तथ्यों के आधार पर एवं दस्तावेजों को छिपाते हुये न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्य नहीं रखते हुए पेश किये गये है। वादी द्वारा जो नक्शे में मार्क ए बी सी डी भूमि जाखडों की ढाणी मौलासर रोड पर बता कर एवं उक्त भूमि को कृषि भूमि बताकर जो वाद पेश किया गया है। वह पूर्ण रूप से मिथ्या तरीके से पेश किया गया है। वह पूर्ण रूप से मिथ्या तरीके से पेश किया गया है। उक्त भूमि कतई कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि आवासीय भूमि है एवं उक्त भूमि का कृषि भूमि से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड के नक्शें में इसका इन्द्राज हो रखा है। राजस्व रेकर्ड के नक्शें में दक्षिण दिशा में खेत खसरा सं0 371 के अन्दर सींव के चिपते ही पहला भूखण्ड श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी सिंघाणा के नाम आवासीय दर्ज है एवं दूसरा भूखण्ड महेन्द्र सिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत निवासी बरलिया अजमेर के नाम संपरिवर्तन होकर राजस्व रेकर्ड के नक्शें में दर्ज है। उक्त मार्क ए बी सी डी भाग जो वादी द्वारा नजरी नक्शें में काश्त की भूमि बताई जाकर पेश की है वह भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार एवं वास्तविक रूप से आवासीय भूमि है जिसका नियमानुसार संपरिवर्तन हो रखा है तथा जिसका रेकर्ड में इन्द्राज भी हो रखा है। वकील वादी ने जो संपरिवर्तन आदेश दिनांक 09.06.1993 क्रमांक 253 व 268 को दिनांक 05.02.2020 को निरस्त करवाया है उसे तहसीलदार डीडवाना द्वारा पुनः पत्रांक 350 दिनांक 25.02.2020 को निरस्त कर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी कर दिये है। वकील प्रतिवादी ने उक्त आदेश की प्रति पेश की।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संपरिवर्तन होकर आवादी में परिवर्तित हो चुका है। आवादी के वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः इस न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 18.03.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.05.07 10:55:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: